न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 108 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. शिवजी मन्दिर की प्याउ का सीान ग्राम समस्त पुरोहित बजरिये नागजीराम गुरू शोभाराम जी महन्त निवासी रामकिशन नगर सडा तहसील सिणधरी		1. भेरा पुत्र खरता जाति जाट 2. हरसाराम पुत्र पोलाराम जाट 3. बस्ताराम पुत्र देवाराम सुथार 4. पुनमा पुत्र वभूता कलबी 5. मानाराम पुत्र कोजाराम कलबी 6. चोथाराम पुत्र पुनमाराम जाट 7. वीरमाराम पुत्र देरामाराम कलबी निवासीयान किशननगर सडा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 8. श्रीमान तहसीलदार सिणधर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री रामजीवन विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 11.01.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार [illegible] कि प्रार्थी का [illegible] रामकिशन नगर पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 274 रकबा [illegible]8445 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त [illegible] आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह आंधियों में बिखर जाने से वर्तमान मौके पर नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा रामकिशन नगर पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 274 रकबा 1.8445 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा रामकिशन नगर पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 274 रकबा 1.8445 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा रामकिशन नगर पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 274 रकबा 1.8445 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा रामकिशन नगर पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 274 रकबा 1.8445 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी के अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रामकिशन नगर पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 274 रकबा 1.8445 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:18 IST
Reason: SelfAttested